बिहार विधान सभा के लिये निवेदन

श्री विनय कुमार सिंह, स0वि0स0 से दि0–28.03.2012 को प्राप्त निवेदन सं0–1267 / 12 के संबंध में	**श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,** मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
निवेदन	**उत्तर**
सारण जिलान्तर्गत विसेन टोला, कोटवापट्टी रामपुर ग्राम विगत 1979 के गंगा कटाव के कारण पूर्णतः नदी में विलीन हो गया । वहाँ के आम–अवाम को 1979 में ही सरकार (द्वारा कटाव पीड़ितों के बसाने हेतु) द्वारा ली गई जमीन जिसका थाना सं0–312 सर्वे नं0–482.483 एवं 484 मौजा जलालपुर (रूलपुरा के पास एन0एच0 19 पर) 2 एकड़ पर उक्त कटाव पीड़ित परिवार 1979 में ही बस गये हैं । आज तक उक्त परिवार को पर्चा मुहैया नहीं कराया गया है । साथ ही साथ फोर लेन सड़क निर्माण के तहत उन्हें उजाड़ा जा रहा है । अतः निवेदन सरकार से होगा कि उचित मुआवजा एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाय ।	वस्तु स्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत सदर अंचल के ग्राम महाजीटोले, टोले रंगुराय, टोले जयपाल राय, टोले बिन टोली एवं रावलराय के विस्थापित परिवारों के लिए भू–अर्जन वाद सं0 8 / 76–77 द्वारा 1.99 एकड़ (सदर अंचल के मौजा जलालपुर, थाना सं0 312, खाता सं0 56, खेसरा सं0 482, 483, 484) भूमि पुनर्वास हेतु अर्जित की गई थी। किन्तु कतिपय कारणों से विस्थापित विपन्न परिवार इस अर्जित भूमि पर नहीं बस सके। सन् 1978–79 में दूसरे गांव विशेन टोला के गंगा की बाढ़ में कट जाने के कारण विस्थापित लोग बगैर सक्षम प्राधिकार की अनापत्ति के उपर्युक्त अर्जित भूमि पर बस गये, किन्तु इन लोगों को किसी भी सक्षम राजस्व प्राधिकार द्वारा किसी प्रकार का राजस्व से संबंधित आदेश / प्राधिकार / अनापत्ति / अनुमति नहीं दी गई। इन लोगों के विरूद्ध अंचल कार्यालय द्वारा अतिक्रमण वाद 3 / 93–94 चलाये गये और इन्हें अतिक्रमण कारी घोषित कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी सारण द्वारा भू–अतिक्रमण अपील सं0 1 / 94 द्वारा विशेनटोला के विस्थापित लोगों को, जो प्रासांगिक भूमि पर बस गये थे, अतिक्रमण कारी मानते हुए उन्हें अतिक्रमण हटा लेने का आदेश दिया गया। अतः उक्त आलोक में विशेनटोला के विस्थापित लोगों को खर्चा दिया जाना संभव नहीं है।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04 / वि0स0नि0–107 / 2012 / ..... / आ0प्र0, पटना–15, दि0–

प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके पत्रांक –3027 दि0–18.06.2012 के क्रम मे 04(चार) प्रतियों मे / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –

वि0का0पदा0

ज्ञापांक –04 / वि0स0नि0–107 / 2012 / 3754 / आ0प्र0, पटना–15, दि0– 30/8/13.

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

30/8/13

वि0का0पदा0

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai\Nivedan 8-03-2013.docx